



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।



Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक- 1133/08सा0प्र0/2024

दिनांक- 2/12/2024

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय/रा0मा0/वि0/यॉ0 लो0नि0वि0,
देहरादून/हल्द्वानी/पौड़ी/अल्मोड़ा।

विषय:- अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि देव भूमि ठेकेदार कल्याण समिति उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया है, कि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के कार्यालयों में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अध्याय-2 नियम-48 के बिन्दुओं '(क)' एवं अध्याय-2 नियम-48 के बिन्दु संख्या '(ग)' का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(इं0 राजेश चन्द्र शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता.....वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग
3. समस्त अधिशासी अभियन्तालोक निर्माण विभाग
4. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष